न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 128/2020 **दायर तारीख :–** 29-10-2020

1. सुवालाल दत्तक पुत्र सोहनलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी शाहजहाँपुर उर्फ बूजा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— वादी**

बनाम

1. मिश्री देवी पुत्री सोहनलाल } जाति गुर्जर निवासी शाहजहाँपुर उर्फ बूजा
2. लाडा देवी पुत्री सोहनलाल } तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— प्रतिवादीगण**

दावा बाबत इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी
श्री सुरेश कुमार रैगर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 27.01.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 16/0.21, 21/0.41, 212/0.69, 213/0.47, 214/0.18, 222/0.82, 257/0.21, 28/0.12, 39/0.02, 40/0.29 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज सरदारा के दो पूत्र मूलचंद व सोहनलाल हुए, जिनमें सोहनलाल के कोई जायन्दा पुत्र नहीं थी। यह है कि मृतक सोहनलाल के दो पुत्रिया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। सोहनलाल वादी के बाल्यकाल में ही फौत हो गया था तथा सोहनलाल के फौत होने से उसकी पत्नि के और सन्तान होने की संभावना समाप्त होने पर सोहनलाल की पत्नि मृतक सरबती उर्फ सरस्वती ने अपने पति के भाई के लडके यानि वादी को उसके बाल्यकाल 2 वर्ष की उम्र में ही समाज के मौजीज व्यक्तियों एवं परिवार व सगे–संबंधियों की उपस्थिति में गोद ले लिया था तथा वादी का लालन–पालन उसके पश्चात वादी का विवाह व अन्य सामाजिक रीति रिवाज के कार्य उसकी गोद माता सरबती उर्फ सरस्वती ने ही किया है। यह है कि मृतक सरबती उर्फ सरस्वती ने वादी को गोद लिया उसके बाबत समाज के मौजीज व्यक्तियों एवं सगे संबंधियों की साक्षी में एक स्टाम्प तादादी 100/–रूपये गोदनामा लिया गया है। यह है कि वादी ने अपनी बहिनों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के समस्त भात–पेज अन्य सामाजिक कार्य का समस्त खर्चा वादी ने किया हैं। वादी के गोद जाने के पश्चात उसके प्राकृतिक पिता मूलचंद से वादी का कोई हक

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

संबंध नहीं रहा है। वादी के सभी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, स्वास्थ्य कार्ड, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि में उके दत्तक पिता का नाम अंकित है। यह है कि वादी ने अपनी दत्तक माता का स्वर्गवास होने पर उसके समस्त धार्मिक रीति–रिवाज का सम्पूर्ण सामाजिक कार्य एक पुत्र की हैसियत से वादी ने पूर्ण किए है। तथा उनमें लगे समस्त खर्चे का वहन किया है। इस प्रकार वादी अपने माता–पिता से विरासत में प्राप्त अन्य सम्पति यथा आवास निवास, घर गुवाडी का उपयोग–उपभोग करता आया है। एवं विरासत में प्राप्त भूमि पर काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहा है। यह है कि मृतक सोहनलाल की अन्य आराजी खसरा नंबर 17 में वादी को उसका विधिक उत्तराधिकारी मानते हुए विरासत का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ है, परन्तु वाद ग्रस्त आराजी में वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं कर मात्र उसकी दो बहिनों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दी गई, जबकि वादी अपने दत्तक माता–पिता से प्राप्त उक्त भूमि में अपने हिस्से पर आज तक काबिज काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहा है। इस प्रकार वादी उक्त भूमि में अपनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। यह है कि अब वाद ग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज नहीं होकर उसकी दो बहिनों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई है तथा अपने नाम दर्ज रिकॉर्ड भूमि को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है तथा ऐलानिया धमकी देती रहती है। इस प्रकार प्रतिवादी अपनी धमकी को अमल में लाते हुए यदि आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान कर विक्रय पत्र पंजीबद्व कराने में सफल हो गयी तो वादी को उक्त पैतृक भूमि से महरूम होना पडेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में किया जाना संभव नहीं होगा। अतः निवेदन है कि डिक्री बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबत इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की प्रदान की जावे कि वाके ग्राम ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 16/0.21, 21/0.41, 212/0.69, 213/0.47, 214/0.18, 222/0.82, 257/0.21, 28/0.12, 39/0.02, 40/0.29 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर में वादी को हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को उसके हक एवं हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें ना ही करावें, शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, इकबाले जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा खाता संख्या 45 संवत् 2075–2078, असल गोदनामा सुवालाल, नकल जमाबन्दी ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा खाता संख्या 61 संवत् 2075–2078, नकल जमाबन्दी ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा खाता संख्या 44 संवत् 2063–2066, नकल नामान्तकरण प्रपत्र दिनांक 14.08.2019

उपखण्ड अधिकारी
बिराटनगर (जयपुर)

ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा, नकल नामान्तकरण प्रपत्र दिनांक 17.06.2020 ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा, फोटो कुर्सीनामा श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि सोहनलाल गुर्जर, फोटो प्रति आधार कार्ड सुवालाल गुर्जर, फोटो प्रति राशन कार्ड सुवालाल गुर्जर पुत्र सोहनलाल, फोटो प्रति स्वास्थ्य कार्ड सुवालाल पुत्र सोहनलाल, फोटो प्रति बैंक पास बुक सुवालाल पुत्र सोहनलाल, फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र सुवालाल पुत्र सोहनलाल आदि पेश किए गये।

4. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इकबाले जवाब दावा पेश किया गया तथा कथन किया है कि वादी सुवालाल बाल्यकाल से ही प्रतिवादीगण के पिता के पास रहा है प्रतिवादीगण के भाई नहीं था वादी का लालन–पालन प्रतिवादीगण के पिता ने ही किया था जो उसकी चल–अचल सम्पति का विधिक उत्ताराधिकारी है। वादी पत्र के अनुतोष खण्ड के अनुसार यदि न्यायालय श्रीमान वादी को उक्त वाद ग्रस्त आराजी का 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करते है तो कोई एतराज नहीं है। पूर्णतया सहमत है।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी • विराटनगर (जयपुर) •

5. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से राजीनामा पेश किया गया, जिसमे कथन रहे कि हाल आराजी खसरा नंबर 16, 21, 212, 213, 214, 222, 257, 28, 39, 40 कुल किता 10 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर वाकै ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा में स्थित है, जिसकी खातेदारी पहले प्रतिवादीगण के पिता सोहन के हिस्सा 1/2 मे दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी, सोहन के मरने के वाद विरासतन भूमि की खातेदारी हक प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। यह है कि हमारे पिताजी सोहन के हम लडकिया ही थी उनके पुत्र सन्तान नहीं हुई थी, हमारे बाल्यकाल में ही हमारे पिता का देहान्त हो गया था, इसलि हमारे ताऊ के लडके सुवालाल को 2 साल की उम्र में ही हमारी माताजी सरवती उर्फ सरस्वती देवी ने गांव के लोगो के सामने गोद ले लिया था जिसका लालन पालन शादी ब्याह आदि सब हमारी माताजी ने एक पुत्र की तरह ही किये थे, परन्तु उक्त जमीन की खातेदारी अकेले हमारी माताजी के नाम ही दर्ज हो गई थी, माताजी की फौत हो चुकी है। यह है कि हमारे भाई ने उक्त उनवानी दावा हमारे खिलाफ जमीन मे खातेदारी लेने हेतू किया है, जिसमे हमने आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिया है। चूंकि हमारे भात–पेज सामाजिक रीति रिवाज के कार्य हमारा भाई सुवालाल ही सगे भाई की तरह करता आया है इसलिए इस जमीन को लेकर हमारे भाई से किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहती है। आपस मे प्रेम प्यार भाईचारा बना रहे इसलिए इस मुकदमें को आगे नहीं चलाकर आज ही न्यायालय श्रीमान के समक्ष राजीनामा पेश करते है कि उक्त वर्णित आराजी में कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर मे से हमारे 1/2 में 1/3, 1/3, 1/3 भाग की हिस्सेदारी देने हेतू सहमत है। यह है उक्त वर्णित आराजी में हमारा हिस्सा 1/2 है यानि हम दोनों बहिनों का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज है अब हमारे भाई का हिस्सा और हो गया है यानि हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम पूर्णतया सहमत हैं। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि हमारा राजीनामा स्वीकार फरमाया जावे और मुताबिक वाद पत्र वादी का दावा डिक्री किये जाने की कृपा करें।

6. वहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 16/0.21, 21/0.41, 212/0.69, 213/0.47, 214/0.18, 222/0.82, 257/0.21, 28/0.12, 39/0.02, 40/0.29 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। यह है कि वादी की तरफ से प्रस्तुत गोद नामा के अनुसार वादी सुवालाल को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माताजी सरबती उर्फ सरस्वती देवी पत्नि सोहनलाल ने गोद लिया जाना साबित होता है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माताजी का सुवालाल दत्तक पुत्र होना साबित होता है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की माता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ –साथ वादी सुवालाल का भी हक व अधिकार होना साबित होता है। तथा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबाले जवाब दावा भी पेश किया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से प्रस्तुत राजीनामें में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी माताजी के नाम दर्ज खातेदारी में अपने हक हिस्से के साथ वादी सुवालाल का भी हक हिस्से के अधिकार देने की बात का कथन किया है। अतः दावा मुताबिक राजीनामा एवं इकबाले जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 16/0.21, 21/0.41, 212/0.69, 213/0.47, 214/0.18, 222/0.82, 257/0.21, 28/0.12, 39/0.02, 40/0.29 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की हिस्से 1/2 की खातेदारी में वादी को भी 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे खातेदारी में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. सुवालाल दत्तक पुत्र सोहनलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी शाहजहाँपुर उर्फ बूजा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— वादी**

बनाम

1. मिश्री देवी पुत्री सोहनलाल } जाति गुर्जर निवासी शाहजहाँपुर उर्फ बूजा
2. लाडा देवी पुत्री सोहनलाल } तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— प्रतिवादीगण**

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 128/2020 **दावा बाबत इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता वादी** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री सुरेश कुमार रैगर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि डिक्री बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबत इस्तकरारहक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की प्रदान की जावे कि वाके ग्राम ग्राम, शाहजहाँपुर उर्फ बूजा के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 16/0.21, 21/0.41, 212/0.69, 213/0.47, 214/0.18, 222/0.82, 257/0.21, 28/0.12, 39/0.02, 40/0.29 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर में वादी को हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को उसके हक एवं हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें ना ही करावें, शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवें।

सुना गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रकरण में पेश जवाब दावा व राजीनामा का अवलोकन किया गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम शाहजहाँपुर उर्फ बूजा के खाता संख्या 45 के हाल खसरा नम्बर 16/0.21, 21/0.41, 212/0.69, 213/0.47, 214/0.18, 222/0.82, 257/0.21, 28/0.12, 39/0.02, 40/0.29 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की हिस्से 1/2 की खातेदारी में वादी को भी 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे खातेदारी में प्राप्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुवलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 27.01.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)